



562  
क्षेत्रीय कार्यालय,  
REGIONAL OFFICE,  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD  
सोनभद्र  
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No. 40681 /O.A. No. 411/2024

दिनांक:-

Date: 09/07/2024

To,

The Registrar,  
Hon'ble National Green Tribunal,  
Copernicus Marg,  
New Delhi.  
E-mail:judicial-ngt@gov.in

**Sub:-** Submission of status report in pursuant to order dated 25.04.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 411/2024, Sampurna Nand Vs Vijetha Singh.

Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 25.04.2024 in the matter of O.A. No. 411/2024, Sampurna Nand Vs Vijetha Singh, the status report is being filed herewith.

It is requested that status report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

**Encl.:** As above.

Yours faithfully,

  
(U.K. Gupta)  
Regional Officer  
Sonbhadra.

**Endt. No. & date as above.**

Copy to:-

1. District Magistrate, Mirzapur for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.

Regional Officer  
Sonbhadra.

Status Report in pursuant to order dated 25.04.2024 passed by Honble NGT in the matter of OA No. 411/2024 Sampurna Nand vs. M/s Vijeta Singh & Ors.

---

1. As per joint committee report dated-06.01.2024, UPPCB had issued Show-Cause Notice to the said mining lease vide Letter dated-12.01.2024, which was got received by concerned project proponent.
2. As per the available records and facts observed during visit on 08.02.2024 and 09.02.2024 and recommendation sent by RO, UPPCB, Sonbhadra, U.P. Pollution Control Board has issued closure order to the said mining lease vide letter dated-19.02.2024 after giving due opportunity as per law.
3. UPPCB has imposed the environmental compensation on the said mining lease for past violation and defaulting days, which amount has not deposited by the project proponent.
4. In order to ensure the effective compliance of closure order issued to the said mining lease by UPPCB vide letter dated 19.02.2024, District Magistrate, Mirzapur has directed to Mining Officer, Mirzapur vide reference no. G0228/OA-521/2022/ 2023 dated 04.03.2024.
5. The presentation of the project proponent against closure order dated 19.02.2024 has received. The joint committee visited the said mining lease area. UPPCB has disposed the presentation of the project proponent with this direction that the PP should obtain EC from SEIAA vide letter dated 25.06.2024. ( Copy enclosed as Annexure-1).

Accordingly above, The Status Report is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Dated: 09.07.2024

  
(U.K. Gupta)  
Regional Officer  
U.P.P.C.B  
Sonbhadra



564  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० H13026 /सी-2/NGT-67/24  
Ref. No

दिनांक 25/6/24  
Date

सेवा में,

पंजीकृत

श्रीमती विजेता सिंह पत्नी श्री हेमन्त कुमार सिंह,  
निवासी-ग्राम पटेल नगर (गरौडी)  
पो-अदलहाट, (गाटा सं० 705मि, लीज एरिया 2.5 एकड़)  
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: खनन पट्टे द्वारा बंदी आदेश के निक्षेपण के सम्बंध में प्रेषित प्रत्यावेदन पत्र दिनांक 30.04.2024 के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके खनन पट्टे मैसर्स विजेता सिंह, आराजी सं०-705मि, ग्राम भगौतीदेई, तहसील चुनार, जनपद-मीरजापुर को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 07132/सी-2/एन0जी0टी0-67/2024 दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बंदी आदेश का संदर्भ ग्रहण करें।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 के अनुपालन में आपकी इकाई द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 30.04.2024 के अनुक्रम में मा० अधिकरण द्वारा सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की अध्यक्षता में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, उ०प्र० के सदस्यों की गठित समिति द्वारा आपकी इकाई का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 4 मई 2024 को किया गया था। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, उ०प्र० के पत्र दिनांक 21.06.2024 द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या प्रेषित की गयी है। निरीक्षण आख्यानुसार खनन इकाई को DEIAA द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत है तथा खनन इकाई द्वारा MoEF&CC के आफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28.04.2023 के अनुपालन में SEIAA से Re-appraised/Fresh पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है। संयुक्त समिति द्वारा खनन इकाई को SEIAA से Re-appraised/Fresh पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही संचालन अनुमत्य किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः संयुक्त समिति की आख्या एवं संस्तुति के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि MoEF&CC के आफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28.04.2023 के अनुपालन में खनन इकाई हेतु SEIAA से Re-appraised/Fresh पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जाये तथा बोर्ड के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा उल्लंघन अवधि हेतु अधिरोपित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 20,30,000/- का भुगतान सुनिश्चित किया जाये, अन्यथा भू-राजस्व की भाँति वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों के साथ ही बंदी आदेश दिनांक 19.02.2024 के सम्बंध में आप द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 30.04.2024 निस्तारित किया जाता है।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से पत्र निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग को निर्गत उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.in  
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.in  
Website : www.uppcb.com